UPAU010046432026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी–**मयंक चौहान** (एच०जे०एस०)

(JO CODE UP 2011)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1182/2026

दीपेश सिंह पुत्र शिव सिंह निवासी ग्राम सिखरना, थाना अयाना, जिला औरैया।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–60/2024
धारा– 307 भारतीय दण्ड संहिता
थाना– अयाना, **जनपद** औरैया

दिनांकः 14.08.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1182/2026, प्रार्थी/अभियुक्त **दीपेश सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 60/2024 अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना अयाना, जनपद औरैया के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और वह न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संक्षेप में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसको झूठा नामित किया गया है। उसके विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 भा०दं०सं० में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसकी जमानत सम्बन्धित न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और वह जमानत पर रिहा है। उसके विरुद्ध सत्र परीक्षण में अन्य धाराओं के अतिरिक्त धारा 307 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया है। उसके द्वारा पीड़ित को जान से मारने का प्रयास नहीं किया गया है और पीड़ित को कोई भी फायर आर्म्स की इंजरी नहीं है, न ही पीड़ित को धारा 307 भा०दं०सं० की हद तक पहुंचने वाली कोई भी चोट आयी है। वह विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है तथा भविष्य में भी पूर्णतया सहयोग करता रहेगा। अतः निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

3. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया ।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 भा०दं०सं० में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसकी जमानत सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। उसके विरुद्ध अन्य धाराओं के अतिरिक्त धारा 307 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया है। अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भतीजे को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी,

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.08.14 15:51:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लाठी–डंडो से मारपीट करने व आग्नेयास्त्र से फायर करना बताया गया है। मजरूब श्याम सिंह की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसे आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना अंकित नहीं है और सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट में मजरूब को आयी अन्य चोटें साधारण प्रकृति की होना अंकित है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **दीपेश सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 60/2024 अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना अयाना, जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 1,00,000/– रूपये का नवीन व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं पूर्व में दाखिल प्रतिभू के आधार पर जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

दिनांक–14.08.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।
J.O CODE– UP 2011